राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक–02.09.2016

समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– दिनांक 20 से 30 सितम्बर, 2016 के मध्य आयोजित किये जाने वाले भामाशाह सुविधा शिविरों के सफल कियान्वयन हेतु।

संदर्भः– श्रीमान मुख्य सचिव का पत्र समसंख्यक पत्र दिनांक 01.09.16, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का पत्र कमांक एफ 13(49) खा.वि/आवंटन/2015–II दिनांक 19.07.16 तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पत्र कमांक एफ 9(5)(14)पेंशन पोर्टल/सान्याअवि/2015–16/6506–38 दिनांक 19.07.16

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है गत माह आयोजित भामाशाह सुविधा शिविरों के सफल कियान्वयन तथा समस्या समाधान को ध्यान में रखते हुये, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20 से 30 सितम्बर 2016 के मध्य इन शिविरों का पुनः आयोजन किया जाना है ताकि भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक से अधिक लाभार्थी नगद व गैर–नगद लाभ प्राप्त कर सकें। इस संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा मुख्य सचिव महोदय के निर्देश आपको प्रेषित किये जा चुके है। इन शिविरों की सफलता हेतु निम्नानुसार तैयारियां सुनिश्चित करें:–

1. 20 सितम्बर, 2016 से प्रारम्भ होने वाले भामाशाह सुविधा कैम्पों की समस्त तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण कर समुचित follow up भी स्वंय के पर्यवेक्षण में करवाएं।
2. जिला कलक्टर कैम्पों की अवधि आवश्यकतानुसार बढाने तथा प्रत्येक ब्लॉक/ शहरी वार्ड में नियत संख्या से अधिक शिविर लगाने के लिए अधिकृत होंगे।
3. सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा NFSA की नवीनतम सूची, जिसे शिविरों हेतु भामाशाह पोर्टल से Download कर जिला स्तर पर पंचायतवार/शहरी वार्डवार Print कराया जाना है, यह ही एक मात्र अधिकृत सूची है। जिला प्रशासन द्वारा कैम्प में तथा कैम्प पश्चात पंचायत स्तरीय अटल सेवा केन्द्र/शहरी निकायों में इन सूचियों का व्यापक प्रदर्शन किया जाए।
4. उक्त सूची में से अपात्र लाभार्थी का नाम हटाने व शेष रहे पात्र लाभार्थी का नाम जोडने की कार्यवाही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संदर्भित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी तथा ये सूचियां ही (जो कि जिला स्तरीय Seeding उपरांत तैयार की गई है।) Unit

register के रूप में प्रमाणित कर कैम्पों में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण उपरांत update कर एवं प्रमाणित कर डीलर्स को उपलब्ध करवायी जाएगी।

भामाशाह सुविधा शिविरों से पूर्व तैयारियों हेतु निम्नानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जानी हैः-

क.सं.	कार्य	दिनांक तक
1.	गत शिविर में प्राप्त समस्या/अभ्यावेदन के शेष प्रकरणों का निस्तारण।	09.09.16
2.	भामाशाह सुविधा शिविरों की समस्त तैयारियों हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों/ ई-मित्र इत्यादि की नामजद ड्यूटी लगाना।	09.09.16
3.	जिला स्तरीय अधिकारियों एवं बैंकर्स को शिविरों में अपेक्षित कार्यो की जानकारी हेतु बैठक।	08.09.16
4.	ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं बैंकर्स को शिविरों में अपेक्षित कार्यो की जानकारी हेतु बैठक।	09.09.16
5.	शिविरों के सफल आयोजन/सहयोग हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सासंद, जिला प्रमुख, विधायक, प्रधान, शहरी निकाय के अध्यक्षों इत्यादि को आमंत्रण पत्र प्रेषण।	09.09.16
6.	जिला परिषद व पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों की बैठक।	16.09.16
7.	ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों(Programmer/BSO/IA/Computor) द्वारा सभी अटल सेवा केन्द्रों का भ्रमण कर वहां आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	16.09.16
8.	Visit of all BCs/Micro ATMs for cash withdrawal & RajNET	16.09.16
9.	शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सासंद, जिला प्रमुख, विधायक, प्रधान, शहरी निकाय के अध्यक्षों इत्यादि को आमंत्रित करना।	शिविर से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व
10.	भामाशाह सुविधा शिविरों की दिनांक व स्थान का दो प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन।	प्रथम 15.09.16 द्वितीय 19.09.16
11.	गत शिविरों की भांति शिविर स्थल पर लगाने हेतु फ्लेक्स तैयार करवाना।	16.09.16
12.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन व NFSA लाभार्थियों की ग्राम पंचायत/शहरी वार्डवार नवीन सूची का भामाशाह पोर्टल से डाउनलोड कर मुद्रण कार्य।	16.09.16
13.	शिविर में लगाये जाने वाले काउन्टरों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	16.09.16

अतः उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक-02.09.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर्स।
7. समस्त उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी।
9. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
10. समस्त एसीपी/प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव